"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

**क्रमांक 367 ]** **नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जुलाई 2026 — आषाढ़ 17, शक 1948**

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जुलाई 2026

क्रमांक 1311/डी.85/21–अ/प्रारू./छ.ग./26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 27–12–2025 को राज्यपाल एवं दिनांक 29–06–2026 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्र कुमार कश्यप**, अतिरिक्त सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2026)

## छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 1 की उप-धारा (3) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 1 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- — धारा 6 का संशोधन.

"किसी महिला को, ऐसी शर्तों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भी कार्य करने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 8 में,- — धारा 8 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "नौ" एवं "पाँच" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "दस" एवं "छः" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप-धारा (1) के परंतुक का लोप किया जाये।

(तीन) उप-धारा (2) में, शब्द "साढ़े दस" के स्थान पर, शब्द "बारह" प्रतिस्थापित किया जाये।

(चार) उप-धारा (2) में, वाक्यांश "और यदि कर्मकार को अनिरंतरित प्रकृति के कार्य या अति आवश्यक कार्य सौंपे गये हैं, तो कार्य की कुल अवधि, बारह घंटे से अधिक नहीं होगी।" का लोप किया जाये।

(पाँच) उप-धारा (3) में, शब्द "एक सौ पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक सौ चवालीस" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जुलाई 2026

क्रमांक 1311/डी.85/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (सेवा एवं शर्तो का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्र कुमार कश्यप**, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2026)

# THE CHHATTISGARH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act, to Amend the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 1.

2. In sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

3. For sub-section (2) of Section 6 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Any woman Subject to such conditions as may be notified by the State Government, may also be permitted to work from 9 P.M. till 6 A.M. in the morning."

Amendment of Section 8.

4. In Section 8 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "nine" and "five", the words "ten" and "six" shall be substituted, respectively.

(ii) proviso of sub-section (1) shall be omitted.

(iii) in sub-section (2), for the words "ten and half", the word "twelve" shall be substituted.

(iv) In sub-section (2), the phrase "and in case a worker is entrusted with intermittent nature of work or urgent work, the spread over shall not exceed twelve hours." shall be omitted.

(v) In sub-section (3), for the words "one hundred and twenty-five", the words "one hundred and forty-four" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.